कार्यालय महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उ0प्र0
राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ
21 विधानसभा मार्ग, लखनऊ

पत्रांकः 2010 /नरेगा सेल–10 SQM/2010 दिनांक 09 जुलाई, 2010

<u>विज्ञप्ति</u>

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जनपदों में कराये गये कार्यों के अनुश्रवण मूल्यांकन एवं सत्यापन हेतु राज्य स्तरीय मॉनीटर का (State Quality Monitor) इम्पैनलमेंट किया जाना है। इम्पैनलमेंट हेतु अवकाश प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी, सचिव स्तर से अवकाश प्राप्त अन्य कैडर के अधिकारी, विभागाध्यक्ष स्तर से अवकाश प्राप्त अधिकारी/राज्य स्तरीय कैडर के सर्वोच्च स्तर के अधिकारी, सेना से अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेन्ट कर्नल से उपर के के अधिकारी तथा अधीक्षण अभियन्ता स्तर से अवकाश प्राप्त इंजीनियर द्वारा उक्त कार्य हेतु आवेदन किया जा सकता है। नामित अधिकारियों द्वारा जितने दिन का कार्य विभाग के निर्देश पर किया जायेगा, उतने दिनों के लिए नियमानुसार मानदेय दिया जायेगा। मानदेय एवं कार्य से संबंधित नियम एवं शर्तें ग्राम्य विकास विभाग के वेबसाइट www.rd.up.nic.in पर उपलब्ध है।

इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अपनी Expression of Interest (Bio-data सहित) दिनांक 26–7–2010 तक आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ, 21 विधान सभा मार्ग, लखनऊ के कार्यालय में By Hand अथवा डाक के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आयुक्त,ग्राम्य विकास/
नरेगा आयुक्त,
उ0प्र0।

इम्पैनल्ड किये जाने वाले राज्य गुणवत्ता मानीटर्स के सम्बन्ध में नियम एवं शर्तेः—

1— स्टेट क्वालिटी मानीटर की सेवायें पूर्णतः अस्थाई रूप से ली जायेंगी।

2— स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा रोजगार गारन्टी आयुक्त/आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 तथा ग्राम्य विकास विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, उ0प्र0 के अन्तर्गत उन्हें समय—समय पर आवंटित किसी भी जनपद का निरीक्षण किया जाएगा।

3— स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा एक माह में अधिकतम 18 दिवस सेवा उपलब्ध करायी जायेगी।

4— स्टेट क्वालिटी मानीटर को कार्य दिवसों हेतु मानदेय के रूप में रू0 1750/— प्रतिदिन देय होगा जिसमें रू0 1500/— मानदेय के रूप में तथा रू0 250/— अन्य व्यय (लाजिंग के अलावा) हेतु अनुमन्य होगा।

5— यात्रा दिवसों में (कार्य दिवसों को छोड़कर, जिसमें कार्य नहीं किया गया हो) रू0 250/— प्रति दिन भत्ता अनुमन्य होगा, इसमें घर से स्टेशन तक की यात्रा आदि का खर्चा सम्मिलित होगा तथा निरीक्षण टिप्पणियों की समुचित बाइंडिग, प्रेषण आदि हेतु रिर्पोटिंग भत्ता रू0 250/— प्रति जनपद अनुमन्य होगा।

6— स्टेट क्वालिटी मानीटर्स को यात्रा व्यय रू0 8000/— से 16399/— वेतनमान हेतु अनुमन्य श्रेणी का यात्रा—भत्ता शासकीय नियमों के अनुसार देय होगा।

7— सामान्यतः स्टेट क्वालिटी मानीटर को भ्रमण अवधि में स्थानीय प्रशासन द्वारा लाजिंग शासकीय गेस्ट हाउस/सर्किट हाउस में उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त लाजिंग उपलब्ध न कराये जाने पर अधिकतम रू0 500/— प्रति दिवस की दर से लाजिंग भत्ता अनुमन्य होगा जिसके लिए उन्हें उपरोक्तानुसार प्रमाण—पत्र देना होगा।

8— स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा भ्रमण उपरान्त यात्रा बिल निर्धारित प्रारूप पर तीन प्रतियों में रोजगार गारन्टी आयुक्त/आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को प्रस्तुत करना होगा।

9— स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा भ्रमण उपरान्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप पर एक प्रति में जिला कार्यक्रम समन्वयक को तथा दो प्रतियों में रोजगार गारन्टी आयुक्त/आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को प्रस्तुत करना होगा।

10— स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा उन सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा जो कि समय—समय पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, उ0प्र0 ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी किये गये हों।

11— स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा आवश्यकतानुसार पूर्व निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में अनुपालन ए0टी0आर0 के संतोषप्रद होने विषयक टिप्पणी/मन्तव्य भी देना होगा।

12— स्टेट क्वालिटी मानीटर के रूप में अपेक्षानुसार व मानक के अनुसार कार्य न किये जाने की दशा में बिना कारण बताये एवं बिना पूर्व सूचना (नोटिस) दिये आवंटित कार्य पृथक किया जा सकता है।